



2026:AHC:61977

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 9549 वर्ष 2026

दीपक कुमार और अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : दीवान सैफुल्लाह खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. श्री ऐजाज खान, जो श्री दीवान सैफुल्लाह खान, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हुए, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि वाद संख्या 754 वर्ष 2020 (राज्य बनाम दीपक एवं अन्य), जो अपराध संख्या 16 वर्ष 2019 से उत्पन्न हुआ है, धारा 498ए, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना महिला थाना, सेक्टर-39, नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफ.टी.सी. द्वितीय, गौतम बुद्ध नगर की न्यायालय में लंबित है, को निरस्त किया जाए।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों ने दिनांक 05.04.2023 को समझौते के माध्यम से अपना विवाद सुलझा लिया है, जो वर्तमान आवेदन के साथ परिशिष्ट संख्या '4' के रूप में संलग्न है तथा जिसे सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग)/एफ.टी.सी.-2, गौतम बुद्ध नगर की न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2024 के आदेश द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान विवाद आवेदकगण एवं विपक्षी पक्ष संख्या-2 के मध्य वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क दिया गया कि पक्षकारों ने स्वेच्छा से समझौता किया है, किसी दबाव, धमकी अथवा बल प्रयोग के अंतर्गत नहीं तथा वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, अतः पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर विवादित कार्यवाही को निरस्त किया जाए तथा वे प्रत्युत्तर हलफनामा एवं प्रत्युत्तर हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता पर कोई विवाद नहीं करते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर वाद निरस्तीकरण के संबंध में विधि सुव्यवस्थित है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2003) 4 SCC 675 मामले में दिए गए फैसले के आलोक में, यह माना गया है कि "उच्च न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है; विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में, जहाँ पक्षों के बीच कोई वास्तविक समझौता हो गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, जिसमें समझौता योग्य अपराधों की सूची दी गई है, इस शक्ति को सीमित नहीं करती है; और इस शक्ति का प्रयोग सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने तथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही वे अपराध अन्यथा समझौता-अयोग्य श्रेणी के हों।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2012) 10 SCC 303 मामले में अपने संवैधानिक पीठ के फैसले में यह माना है कि:- "परंतु, जिन आपराधिक मामलों में मुख्य रूप से और बड़े पैमाने पर दीवानी प्रकृति का प्रभाव होता है, उन्हें रद्द करने के मामले में एक अलग श्रेणी में रखा जाता है; विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इस तरह के अन्य लेन-देन से उत्पन्न होते हैं, या वे अपराध जो वैवाहिक मामलों (जैसे दहेज आदि) से जुड़े होते हैं, अथवा वे पारिवारिक विवाद जिनमें किया गया अपराध मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और संबंधित पक्षों ने अपने पूरे विवाद को आपस में सुलझा लिया होता है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, यदि उसकी राय में—

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराधी और पीड़ित के बीच हुए समझौते के कारण—दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम या नगण्य रह गई हो; और यदि आपराधिक मामला जारी रखने से आरोपी को अत्यधिक उत्पीड़न और हानि का सामना करना पड़े, तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और अंतिम समझौता हो जाने के बावजूद भी, आपराधिक मामले को रद्द न करने से आरोपी के साथ घोर अन्याय होने की आशंका हो।”

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2017) 9 SCC 641 मामले में, अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार, “समझौते के आधार पर, उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है जिनमें समझौता संभव नहीं होता, ताकि न्यायालय का कीमती समय बचाया जा सके और उसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।”

10. पक्षकारों ने संबंधित न्यायालय में लंबित कार्यवाही को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। अभिलेखों के अवलोकन एवं उपर्युक्त विधि के आलोक में, यह न्यायालय की शक्ति के प्रयोग हेतु उपर्युक्त मामला है, जिससे समन आदेश सहित संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जा सके।

11. यह विवाद पूरी तरह से वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसे दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपनी पूरी संतुष्टि के साथ सुलझा लिया है; इसलिए, अभियोजन पक्ष को आगे और जारी रखने की अनुमति देने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. धारा 528 B.N.S.S. के तहत दायर यह वर्तमान आवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य', आपराधिक अपील संख्या 3831/2025, SLP (Crl.) संख्या 11642/2019, दिनांक 02.09.2025 के मामले में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आता है।

13. उपर्युक्त के दृष्टिगत, वाद संख्या 754 वर्ष 2020 (राज्य बनाम दीपक एवं अन्य), जो अपराध संख्या 16 वर्ष 2019 से उत्पन्न हुआ है, धारा 498ए, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना महिला थाना, सेक्टर-39, नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त की जाती है।

14. तदनुसार, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत दाखिल यह वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

25 मार्च, 2026

शिवानी

(नंद प्रभा शुक्ला, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।